

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

//आदेश//


क्रमांक: B/748 /...../चार-12-5/23(Pt-II)

जबलपुर, दिनांक: 22/03/2024

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 237/गोपनीय/2024 जबलपुर, दिनांक 04.03.2024 द्वारा श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, डिप्टी डायरेक्टर, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर (यूनिक इम्पलाई कोड 320023244) को उच्चतर न्यायिक सेवा में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(जिला न्यायाधीश)(प्रवेश स्तर) के पद पर पदोन्नत होने के फलस्वरूप उच्चतर न्यायिक सेवा के एंट्री वेतनमान रूपये 144840-194660/- (लेवल जे-5) में उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

| वेतनमान रु. 111000-163030 में प्राप्त वेतन एवं दिनांक | उच्च न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, पदनाम एवं पदोन्नति का स्थान | एंट्री वेतनमान रूपये 144840-194660/- (लेवल जे-5) में निर्धारित वेतन | देय दिनांक | आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक |
|---|---|--|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 128680 /- 18.12.2023 | 05.03.2024 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (जिला न्यायाधीश(प्रवेश स्तर)), म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर | 144840 /- | 05.03.2024 (पूर्वान्ह) | स्थायीकरण प्रमाण पत्र जारी होने पर विचारण योग्य। |

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,


(रविशंकर डेकाटे)
ओ0एस0डी(लेखा)

पृष्ठांकन क्रमांक B/749 /...../चार-12-5/23(Pt-II)

जबलपुर, दिनांक: 22/03/2024

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(लेखा), सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. संचालक, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. रीडर टू ओ.एस.डी.(लेखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(जिला न्यायाधीश), म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:-रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।


ओ0एस0डी(लेखा)